

माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री और आर. एस. मोंगिया के समक्ष,

एस. के. सरदाना, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

1991 की सिविल रिट याचिका सं 18277

14 अक्टूबर, 1993

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-पंजाब उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963-आर. आई. 13-प्रत्यक्ष भर्ती-पदोन्नत अधिकारी-याचिकाकर्ता जो उच्च न्यायिक सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नत होने वाले पदोन्नत अधिकारियों को दिए गए वेतनमान की समानता का दावा करते हैं-नियम 13 (1 जनवरी 1986)के संशोधन को ध्यान में रखते हुए। पदोन्नत, अधिकारियों और प्रत्यक्ष भर्तियों का वेतनमान समान है-दोनों श्रेणियों को 3, 200-5,600-रुपये के समान पैमाने पर रखा गया है। अधिसूचना का प्रभाव यह है कि वेतनमान रु 4, 100-5,300, अधीनस्थ न्यायिक सेवा (चयन ग्रेड) से पदोन्नत अधिकारियों के लिए मौजूद नहीं है - 3, 200-5,600 रुपये का वेतनमान, 4, 100-5,300 रुपये के वेतनमान से अधिक है, अधिकतम वेतनमान के रूप में देखना होगा-जो उच्च वेतनमान निर्धारित करेगा—कोई भेदभाव नहीं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारा यह मत है कि 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी किए गए पंजाब उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 के नियम 13 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों का वेतनमान और प्रत्यक्ष भर्ती किसी भी तरह से अधिक है। दोनों श्रेणियों को 3, 200-5,600 रुपये के समान वेतनमान में रखा गया है।(1 जनवरी, 1986 से प्रभावी) अधिसूचना का प्रभाव यह है कि 1 जनवरी, 1986 से, जैसे कि 4, 100 रुपये का कोई वेतनमान नहीं था। अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नत अधिकारियों के लिए सुपीरियर न्यायिक सेवा में 5,300 (चयन ग्रेड), इसलिए जहां तक उनके वेतनमान का संबंध है, पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। हमारा आगे यह विचार है कि 3, 200-5,600 रुपये का वेतनमान 4, 100-5,300 रुपये के वेतनमान से अधिक है। क्योंकि यह वेतनमान का अधिकतम है जो यह निर्धारित करता है कि दोनों के बीच कौन सा पैमाना अधिक है। पूर्वगामी कारणों से, हम इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इन्हें इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, शूलक के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जी. एस. गिल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एस. गिल।

जगदेव शर्मा। अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा संजीव मनराई के साथ, ए.ए.जी. हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया

(1) हमारा यह निर्णय 1991 कि सी.डब्ल्यू.पी.नं. 18277 का, साथ ही 1991 कि सी.डब्ल्यू.पी.नं. 13655 का निपटान करेगा। कानून के सामान्य प्रश्नों के रूप में इन दोनों याचिकाओं में शामिल हैं। संदर्भ की सुविधा के लिए, पूर्व रिट याचिका के तथ्यों को स्वीकार किया जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ता, सर्वश्री एस. के. सरदाना और एम. एस. सुल्लर को 23 अगस्त, 1989 और 24 अगस्त को सीधे हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा (जिसे यहां 'सेवा' कहा जाता है) में भर्ती किया गया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया। 1989, 3, 200-4,709 रुपये के वेतनमान में। याचिकाकर्ताओं ने 4, 100-5,300 रुपये के वेतनमान के अनुदान का दावा किया है, जो उनके अनुसार, 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा (चयन ग्रेड) से सेवा में पदोन्नत किए गए अधिकारियों को दिया जा रहा था।

यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब याचिकाकर्ता सेवा में शामिल हुए थे, तो सेवा के सभी सदस्यों को, चाहे वे प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हों या अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा, 3, 200-4,700 रुपये का समान वेतनमान दिया गया था। इससे पहले सेवा के सदस्यों का समय पैमाना रु 1, 200-2,000, लेकिन चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर, इसे संशोधित कर रु 3, 200-4,700 (1 जनवरी, 1986 से प्रभावी)। हरियाणा सुऑर्डिनेट ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्यों के वेतनमान को भी चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किया गया था। पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद, हरियाणा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य 3, 000-4,500 रुपये के वेतनमान में रखे जाने के हकदार थे। अधीनस्थ न्यायिक सेवा में 20 प्रतिशत पदों के लिए 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद 4,100-5,300 पद प्रदान किए गए।

(3) हरियाणा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य श्री पी. एल. गोयल रुपये 4,100-5,300 के चयन ग्रेड में थे। 4 मई, 1988 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने पर वे हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य बने। उनकी पदोन्नति की तारीख से एक दिन पहले, (3 मई, 1988) को श्री गोयल, अधीनस्थ न्यायिक सेवा (चयन ग्रेड) के सदस्य के रूप में मूल वेतन रु 4, 475 रुपये के वेतनमान 4, 100-5,300, के रूप में ले रहे थे, जो, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधीनस्थ न्यायिक सेवा का चयन ग्रेड था। 4 मई, 1988 को सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में पदोन्नति पर, उन्हें 500 रुपये के तत्कालीन मौजूदा वेतनमान (समयमान) में रखा गया था। और उनका वेतन 3, 825 रुपये पर तय किया गया था। हालांकि, मूल वेतन और वास्तव में उन्हें मिलने वाले वेतन में अंतर को उनके 'व्यक्तिगत वेतन' के रूप में संरक्षित किया गया था, जिसे वार्षिक वृद्धि के खिलाफ समायोजित किया जाना था या जब तक कि उनकी सुपीरियर न्यायिक सेवा में पुष्टि नहीं हो जाती, जो भी पहले हो। वेतनमान में कमी और वार्षिक वृद्धि की हानि को इस न्यायालय में पी. एल. गोयल द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. (नं. 1989 का 16385) द्वारा चुनौती का विषय बनाया गया था। उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 30 मई, 1990 को मंजूर किया था और अब निर्णय पी. एल. गोयल बनाम हरियाणा राज्य विरोधी, अन्य (171990 (5) एस.एल.आर.)के रूप में रिपोर्ट किया गया है। यह देखा जा सकता है कि चुनौती भी बनाई गई थी पंजाब सुपीरियर ज्यूडिकल सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 13 (1) के अधिकारों के संबंध में (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, डिवीजनल बेंच ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:-"ऊपर दर्ज कारणों के लिए, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और नियमों के नियम 13 (1) को अधिकार से बाहर घोषित करते हैं। भारत के संविधान की धारा 14 और 16 और यह निदेश देता है कि याचिकाकर्ता और हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के अन्य समान रूप से स्थित सदस्यों को रु 4, 100-5,300 जो उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत होने से ठीक पहले मिल रहे थे। यह न्यायालय केवल भेदभाव को दूर कर सकता है और हमारे लिए ऐसा करने का यही एकमात्र रास्ता है। तदनुसार, हम आदेश की एक रिट जारी करते हैं कि याचिकाकर्ता को 4, 100-5,300 रुपये का वेतनमान मिलता रहेगा। यहां तक कि 4 मई, 1988 को की गई पदोन्नति पर और इस निर्णय और आदेश के अनुसार उसके बकाया का भुगतान एक उचित समय के भीतर किया जाए, इस आदेश की प्राप्ति के चार महीने से बाद नहीं। इसी प्रकार हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के अन्य सदस्य को भी इस निर्णय का

लाभ मिलेगा और उनकी ओर से भी इसी तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। याचिकाकर्ता की अपनी लागत होगी जो 1,000 रुपये में निर्धारित की गई है।”

(4) इस संबंध में उचित वेतन और आवश्यक नियम प्रदान करने के लिए, हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह जल्द से जल्द ऐसा करे और राज्य सरकार के लिए 4, 500-5,700 रुपये का ग्रेड बनाना उचित होगा। हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर सुझाव दिया गया है और चूंकि अब न्यायिक पक्ष पर एक निर्देश जारी किया जा रहा है, इसलिए हमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार सरकार मामले पर बिना किसी देरी के अनुकूल विचार करेगी।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, सभी अधिकारी जिन्हें अधीनस्थ न्यायिक सेवा (चयन ग्रेड) से उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया था, उन्हें रु 4, 100-5,300 और उनका वेतन तदनुसार निर्धारित किया गया था। जैसा कि पहले देखा गया है, याचिकाकर्ता जो उच्च न्यायिक सेवा में सीधे भर्ती होते हैं, जहां तक उनके वेतनमान का संबंध है, वे अधीनस्थ न्यायिक सेवा (चयन श्रेणी) के पदोन्नत अधिकारियों के साथ समानता का दावा करते हैं।

एकल न्यायाधीश, जिन्होंने याचिका की सुनवाई की, दिनांक 4 मई, 1993 को अपने आदेश द्वारा, मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित किया, क्योंकि उनके अनुसार मामले में शामिल बिंदु कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु था और न केवल उच्च न्यायिक सेवा बल्कि अन्य सेवाएं भी इस न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होने की संभावना थी। इस तरह यह मामला हमारे सामने रखा गया है।

(5) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क में लिखित याचिका के लंबित रहने के दौरान जारी की गई दो अधिसूचनाओं द्वारा हटा दिया गया है, जिस पर इस स्तर पर संदर्भ आवश्यक होगा। पहली अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 1993 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (अतिरिक्त) में प्रकाशित की गई है। जिसके द्वारा पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) के नियम 13 में संशोधन किया गया था। उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: –

1. इन नियमों को पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (हरियाणा दूसरा संशोधन) नियम, 1993 कहा जा सकता है।

2. पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963 के नियम 13 में,-

(क) उपनियम के लिए (1) निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:- (1) चयन ग्रेड में रखे गए सदस्यों के अलावा सेवा के सदस्यों का वेतनमान रु 3, 200-100-3,700-1,25-4,700-150-5,600 उपर्युक्त वेतनमान का पैमाना पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जो हरियाणा राज्य पर लागू होता है और वे निर्देश जो वेतन निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए हैं या इसके बाद जारी किए जा सकते हैं।

(ख) उपनियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम उपस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी प्रत्यक्ष भर्ती का प्रारंभिक वेतन, नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (ii) में उपबंधित दस वर्षों के अभ्यास से परे बार में अभ्यास के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए एक वृद्धि की अनुमति देने के बाद अनुमेय समय पैमाने में निर्धारित किया जाएगा, जो अधिकतम पांच वृद्धि के अधीन होगा: बशर्ते कि बार में अभ्यास की अवधि की गणना करते समय, 0.5 या उससे अधिक के अंश को एक पूर्ण संख्या के रूप में लिया जाएगा।

मामले पर पुनर्विचार करने के बाद, पदोन्नत अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस की सीधी भर्तियों के लिए, 3,200-5,600 रुपये का एक समान वेतनमान बनाया गया। जो बाद की अधिसूचना द्वारा, 1 जनवरी, 1986 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि पी. एल. गोयल की सहजता (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार उच्च न्यायिक सेवा का समय पैमाना अधीनस्थ न्यायिक सेवा के चयन ग्रेड से अधिक होना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, 3,200-5,600 रुपये का समय पैमाना, उच्च न्यायिक सेवा के 4, 100-5,300 रुपये के चयन ग्रेड से कम है। अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। यह तर्क दिया गया था कि सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स के नियम 13 में पी. एल. गोयल द्वारा बताए गए और भेदभाव अभी भी कायम हैं। 6 जुलाई, 1993 की अधिसूचना के बावजूद अधीनस्थ न्यायिक सेवा (चयन ग्रेड) के प्रो-मोटो अधिकारी और उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के बीच अभी भी भेदभाव था, जिसके द्वारा रु 3200-5,600 दोनों पदोन्नतियों के साथ-साथ सुपीरियर न्यायिक सेवा के लिए प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों को प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह देखने के लिए कि दो तराजू के बीच कौन सा वेतनमान अधिक है, विशेष पैमाने में प्रारंभिक वेतन न्यूनतम वेतनमान को देखा जाना चाहिए और अधिकतम नहीं।

(7) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि-दिनांक 6 जुलाई, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से, चयन ग्रेड से पदोन्नत अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती दोनों के वेतनमान को 1 जनवरी से समान कर दिया गया था। 1986 और दोनों को 3, 200-5,600 रुपये के वेतनमान में रखा गया था। दूसरे शब्दों में, 4,100-5,300 रुपये का कोई वेतनमान नहीं था। 1 जनवरी, 1986 से उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत चयन ग्रेड अधिकारियों के लिए सभी अधिकारी जो 4, 100-5,300 रुपये के चयन ग्रेड में थे। अधीनस्थ न्यायिक सेवा में और सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नत किए गए, रु 3, 200-5,600 और उनका वेतन तदनुसार मूल वेतन के आधार पर तय किया गया है जो वे 4, 100-5,300 रुपये के चयन ग्रेड में प्राप्त कर रहे थे। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यह देखने के लिए कि दो वेतनमानों में से कौन सा वेतनमान अधिक है, अधिकतम वेतनमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि न्यूनतम वेतनमान, और, तदनुसार, रु 3, 200-5,600 रुपये के वेतनमान से अधिक था। अपने उप-मिशन के समर्थन में, विद्वान वकील ने इनाया सरकार, मंत्रालय या सूक्ष्मता द्वारा निर्धारित मानदंडों को दोहराया, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं: - वेतन निर्धारण के लिए उच्च पदों का निर्धारण। वेतन निर्धारण के उद्देश्य से दो पदों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की सापेक्ष स्वीकृति के निर्धारण के लिए मानदंड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पत्र सं. 434. एरिल (ए,)/04, दिनांक 4 अप्रैल, 1964.

दो पदों के बीच, जैसे कि ए और बी, पद बी को पद ए से जुड़े लोगों की तुलना में अधिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन करने वाला माना जाएगा-(i) यदि पद बी के वेतन का अधिकतम समय-पैमाना पद ए के वेतन के अधिकतम समय-पैमाने से अधिक है और पद बी के वेतन के समय-पैमाने में वृद्धि की दर भी पद ए के समय-पैमाने में वृद्धि की दर से अधिक/बराबर है, और (ii) यदि पद बी के वेतन का अधिकतम समय-पैमाना पद ए के समान है, बशर्ते कि पद बी के वेतन के समय-पैमाने में वृद्धि की दर पद ए के वेतनमान में वृद्धि की दर से अधिक हो।

(8) विद्वान वकील ने यह भी बताया कि विभिन्न सेवाओं में फीडर पद का चयन ग्रेड पदोन्नत पद के समय से अधिक है। उन्होंने पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (चयन ग्रेड) के सदस्यों के वेतनमान का उल्लेख किया और कहा कि फीडर पद का चयन ग्रेड पंजाब के समय-पैमाने से अधिक है।

पी.सी.एस. के सदस्यों के वेतनमान। (न्यायिक शाखा) 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी:— (सुपीरियर न्यायिक सेवा के लिए फीडर पोस्ट)

समय का पैमाना रु 2,200—4,000

सीनियर स्केल (8 साल की सेवा पूरी करने के बाद) रु. 3,000—4,500

चयन ग्रेड (18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद) रु. 4,125—5,600

पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस का वेतनमान

समय पैमाना-	रु. 3,000—5,600.
चयन पुरस्कार (8 साल की सेवा पूरी करने के बाद)	रु 5,000—6,700

वेतनमान एच.सी.एस.कार्यकारी शाखा

(आईएएस के लिए फीडर पोस्ट)

चयन ग्रेड- रु 4,100—5,300

आईएएस का वेतनमान रु 3, 200-4,700

डी.एस.पी.का वेतनमान हरियाणा में

(आई.पी.एस. के लिए फीडर पोस्ट)

डी.एस.पी. का चयन ग्रेड रु 4,100—5,300

आई.पी.एस का वेतनमान रु 3, 000-4,500।

उपरोक्त उदाहरणों से, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील इस बात पर जोर देना चाहते थे कि यह आवश्यक नहीं है कि पदोन्नत पद का समय पैमाना फीडर पद के चयन ग्रेड से अधिक होना चाहिए।

(9) सुनवाई के बाद पक्षकारों के लिए यह विचार जानना आवश्यक है कि पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स के नियम 13 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए। 1963 (हरियाणा में लागू) 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी बनाया गया, याचिकाकर्ता कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों का वेतनमान और प्रत्यक्ष भर्ती किसी भी तरह से अधिक है। दोनों श्रेणियों को 3,200-5,600 रुपये के समान वेतनमान में रखा गया है। 11 जनवरी से प्रभाव के साथ, अधिसूचना यह है कि, 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी अधीनस्थ न्यायिक सेवा से पदोन्नति अधिकारियों के लिए सुपीरियर न्यायिक सेवा में रुपये 4100-5300 का कोई वेतनमान नहीं था। इसलिए जहां तक उनके वेतनमान का संबंध है, पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। हमारा आगे यह विचार है कि 3, 200-5600 रुपये का वेतनमान 4, 100-5,300 रुपये के वेतनमान से अधिक है।, क्योंकि यह वेतनमान का अधिकतम है, यह निर्धारित करना चाहिए कि दोनों के बीच कौन सा पैमाना अधिक है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, यह अधिकतम वेतनमान है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा पद अधिक है और उच्च कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन करता है। एक व्यक्ति जिसे अधीनस्थ न्यायिक सेवा के चयन ग्रेड से उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया है, जिसे अधिकतम 5, 300 रुपये तक की वार्षिक वृद्धि मिलती है, वह 3,200-5,600 रुपये के पैमाने में, 5600 रुपये की वार्षिक वृद्धि और लेगा

(10) पंजाब राज्य में न्यायिक सेवा सहित विभिन्न सेवाओं के वेतनमानों के उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि उच्चतर पद में समयमान कभी-कभी निम्न पद के चयन ग्रेड से कम होता है। हम इस बारे में राय नहीं दे रहे हैं कि क्या यह कानून में उचित है या नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ ऐसे पद हैं जिनका समय पैमाना निचले पद के चयन ग्रेड से कम है।

(11) उपरोक्त कारणों से, हम इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इन्हें इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, शूलक के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा